नियम-324 के अंतगर्त श्री इन्द्र दत्त लखनपाल द्वारा उठाया गया मामला जोकि दिनांक 18.09.2020 को चर्चा हेतु निर्धारित हैः–

" मैं सरकार का ध्यान प्रदेश में कार्यरत कम्पयूटर शिक्षकों की ओर दिलाना चाहता हूं। ये शिक्षक गत 14–15 वर्षों से निजी कम्पनी के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न पाठशालाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब इनकी आयु भी अधिक हो गई है और ये कहीं और जगह पर अपनी सेवाएं देने के योग्य नहीं हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन शिक्षकों को नियमित करने हेतु कोई विशेष नीति बनाई जाए ताकि इन्हें भी अन्य वर्गों की तरह न्याय मिल सके।"

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं सदन को बताना चाहूंगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) शिमला द्वारा outsource पर 1345 कम्पयूटर अध्यापकों को राज्य के 1114 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्याालयों में लगाया गया है। समय–समय पर कम्पयूटर अध्यापकों के वेतनमान में वृद्वि की गई है। कम्पयूटर अध्यापकों के अनुभव के आधार पर उनका मानदेय बढ़ाया गया है जिसके अनुसार 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले कम्पयूटर अध्यापकों का मानदेय 15000/–रु, 5 से 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले कम्पयूटर अध्यापकों का मानदेय 12,500/–रु तथा 5 वर्षों से कम का अनुभव रखने वाले कम्पयूटर अध्यापकों का मानदेय 10,000/–रु तक बढ़ाया जा चुका है। बजट भाषण 2020–21 में भी कम्पयूटर अध्यापकों का सरकार ने पूरा ख्याल रखते हुए, उनके वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्वि प्रस्तावित की है।

प्रदेश के विभिन्न विभागों में बहुत से कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर कार्यरत हैं, यदि सरकार कम्पयूटर अध्यापकों के लिए कोई नीति बनाती है तो अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी नीति बनाने पर विचार करना होगा। कम्पयूटर अध्यापकों को नियमित करने हेतु कोई विशेष नीति बनाने सम्बन्धी कोई मामला फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****